न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर0ए0ए0एस0

जी.सी.एम.एस. पॉर्टल नम्बर– 2014/00141

प्रकरण संख्या–115/2014

उनवान–

पोहप सिंह पुत्र कढेरू कौम काछी निवासी शाला का पुरा मजरा बरैठा तहसील मनियां
जिला धौलपुर ————————————————————वादी

बनाम

1. ननिका । पिस. मवसिया जाति काछी निवासी सेमर का पुरा मजरा बरैठा तहसील
2. मुन्ना । मनियां जिला धौलपुर
3. कमला पुत्री मवसिया पत्नि पंचम जाति काछी निवासी मौहल्ला पटपरा पुराना शहर
धौलपुर ———————असल प्रतिवादीगण

4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बरैठा तहसील मनियां
5. तहसीलदार मनियां वहैसियत लैण्ड होल्डर
———————————— तरतीवी प्रतिवादी

दावा वास्ते बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री सुरेश कटारा, एडवोकेट, वादी की ओर से

दिनांक 18.07.2025

निर्णय

वादीगण की ओर से प्रकरण में विवादित आराजी ख.नं. 1104 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा, 1116 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा, 1117 रकवा 2 विस्वा, 1118 रकवा 1 – 19 बीघा, 1226 रकवा 1–03 बीघा, 1227 रकवा 09 विस्वा, 1228 रकवा 13 विस्वा, 1229 रकवा 1 –2 बीघा, 1230 रकवा 1 विस्वा, 1231 रकवा 18 विस्वा, 1242 रकवा 2 विस्वा, 1243 रकवा 02 विस्वा, 1244 रकवा 15 विस्वा कुल किता 13 रकवा 10–12 बीघा बाके ग्राम सेमर का पुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर का बंटवारा हेतु वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया।

दावा वादीगण दिनांक 07.10.2024 को एकपक्षीय रूप से प्रारंभिक डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किये जाने के आदेश दिए गए। आदेशानुसार तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

तहसीलदार मनियां के पत्रांक राजस्व/कोर्ट/669 दिनांक 16.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का कथन किया।

वकील वादी को सुनने उपरान्त विभाजन प्रस्तावों का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव वादी एंव अन्य मौतबिरान की उपस्थिति में तैयार किए गए है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 07.10.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वकील वादी ने विभाजन प्रस्तावों पर कोई आपत्ति नही की है, उनके द्वारा दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किए जाने का कथन किया है। अतः हम दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी ख.नं. 1104 रकवा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1116 रकवा 1 बीघा 15 बिस्वा, 1117 रकवा 2 बिस्वा, 1118 रकवा 1 – 19 बीघा, 1226 रकवा 1–03 बीघा, 1227 रकवा 09 बिस्वा, 1228 रकवा 13 बिस्वा, 1229 रकवा 1 –2 बीघा, 1230 रकवा 1 बिस्वा, 1231 रकवा 18 बिस्वा, 1242 रकवा 2 बिस्वा, 1243 रकवा 02 बिस्वा, 1244 रकवा 15 बिस्वा कुल किता 13 रकवा 10–12 बीघा बाके ग्राम सेमर का पुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	दिशा	रकवा (है0)
1.	पोहपसिंह पुत्र कढेरू जाति काछी (कुशवाह) सा.शाला का पुरा	1104/1	पश्चिम	0.1960
		1118/1	दक्षिण	0.2466
		1116/2	उत्तर	02213
		1243/2	पूर्व	0.01265
		1226/2	पूर्व	0.1454
		1227/2	पूर्व	0.0569
		1228/2	पूर्व	0.0822
		1229/1	पश्चिम	0.1391
		1231/1	पश्चिम	0.1138
		कुल किता 09 कुल रकवा 1.21395		
2.	कमला पुत्री मवसिया हि. 1/3, ननिका पुत्र मवसिया हि. 1/3, मुन्ना पुत्र मवसिया हि. 1/3 जाति काछी (कुशवाह) सा. शाला का पुरा	1104/2	पूर्व	0.1960
		1118/2	उत्तर	0.2466
		1116/1	दक्षिण	0.2213
		1243/1	पश्चिम	0.01265
		1226/1	पश्चिम	0.1454
		1227/1	पश्चिम	0.0569

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

		1228 / 1	पश्चिम	0.0822
		1229 / 2	पूर्व	0.1341
		1231 / 2	पूर्व	0.11338
		कुल किता 09 कुल रकबा 1.21395		

राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक-पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक रहन के इन्द्राजात यदि कोई हो तो बदस्तूर कायम रहेगें। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.